

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 52 सन 2021

अनवान :-

1. पूर्णादेवी पत्नी हसराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 29/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 206/200 की कुल 1.5180 हैक् भूमि प्रार्थी का खातेदार कास्तकार है।

प्रार्थी के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हसराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पति का सही नाम हसराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पति का नाम हसराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेशकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

सरपंच ग्राम पंचायत जबरासर एवं अभियान में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थीया के पति के नाम की तस्दीकी की गई है

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 206/200 की कुल 1.5180 हैक् भूमि का प्रार्थी खातेदार कास्तकार है।


जिसमें प्रार्थी का नाम हसराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम

हसराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी के पति का नाम हसंराज दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों/तहसीलदार की अभिशषा/सरपंच ग्राम पंचायत एवं मजमे आम की तरदीक के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा जवरासर के खाता संख्या 206/200 की कुल 1.5180हैक् भूमि में प्रार्थी के पति का नाम हसंराज दर्ज के स्थान पर हसंराम उर्फ हसंराज संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्टजवरासर..

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/356 दिनांक :- 29-10-21
तहसीलदार राजस्व नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 56/2021 अनवानी पूर्णादेवी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. पूर्णासम पत्नी हसरंज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 206/200 की कुल 1.5180 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी के पति का नाम हसरंज दर्ज के स्थान पर हसरंज उर्फ हसरंज संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट जबरासर